

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प-पापला 296 (अदालत सेवा केन्द्र)


प्रकरण सं:- 80/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1428

दिनांक:-11/06/2018

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पापला 296 व मू.अ.नि. पापला कला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लूणा कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 86 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि भदिराम पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर शिवरलाल पुत्र दुर्गाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1429-31

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शिवरलाल पुत्र दुर्गाराम निवासी लूणा कला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी